



Neutral Citation No - 2026:AHC:28581

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 1878

अशोक कुमार त्रिपाठी एवं 6 अन्य
बनाम

.....याचिकाकर्तागण

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रशांत, राम चन्द्र सोलंकी
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं, जो संख्या में सात हैं, के विद्वान अधिवक्ता श्री राम चन्द्र सोलंकी तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ताओं की व्यथा यह है कि वे पैरा-5 में पुनरावृत्त सारणी के अनुसार विभिन्न तिथियों से सामयिक राजस्व संग्रह अमीन के रूप में कार्यरत हैं और उनका नियमितीकरण किया जा चुका है, किन्तु वे इस संबंध में अपने नियमितीकरण हेतु अवधि की गणना की प्रार्थना कर रहे हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह कथन है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रथमतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना अपेक्षित है।
4. न्यायालय के समक्ष किए गए उक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है कि वे रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करें, जो उक्त आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार कड़ाई से रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने हेतु अग्रसर होंगे।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"